






# 2024/184

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
भीमराज बनाम मुखराम आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 247 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
06.06.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 14.06.2024 को पेश हो।</p> <p>or</p>	
14.6.24	<p>1 कुलाए कमकन उपस्थित/PU माह अफ़्जमी        फ़ौला है। पत्रावली 20.06.24        मस्त 20 दिनांक 20.06.2024        का पेश हो</p>	<p>भीमराज        2 नि गजल</p> 
14.6.2024	<p>वकील वादी ने पत्रावली पत्र निवाह पेशी पेश करने पर प्रवावली को पेशी में लिया गया कुलार फ़रिडेन उपाधि पर। पत्रावली सपना 5 ने जारी है। वकील राजेश कुमार माहा उपाधि पर काका रजकाल दफा पेश किया जिसे शामिल फ़रिडेन। किया गया पत्रावली वास्ते स्टेट लक्षण कादिना 14/6/2024 को पेश हो।</p> <p>or</p>	<p>2 नि गजल        3 नि गजल        आशा राम        3 नि गजल</p>  
20.6.2024	<p>1 कुलाए कमकन उपस्थित/PU माह अफ़्जमी        फ़ौला है। पत्रावली 20.06.24        मस्त 20 दिनांक 20.06.2024        का पेश हो</p>	<p>2 नि गजल        3 नि गजल</p> 
04.7.2024	<p>कुलाए फ़रिडेन उपाधि पर। स्टेट लक्षण परस डना कदम मुनी गरी। पत्रावली का अन्वेषण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट क री। पत्रावली की आकसी सहमति के बाजार यह वाद वादी रिपोर्टिया जा रहा है। सूची विवरण सहित निर्णय अलग है निवाह जाकर शामिल फ़रिडेन। किया जाने पत्रावली नम्बर के कम की जाकर काउ ल 20/7/2024 को लक्ष्य शामिल दफातर हो।</p> <p>or</p>	<p>प. नदी        पत्रावली</p> 



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 247/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

भीमराज पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी सीरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

1. मुखराम पुत्र गंगाराम जाति मेघवाल निवासी सीरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. गोपीराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी सीरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
3. आत्माराम पुत्र मुखराम जाति मेघवाल निवासी सीरासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
4. प्रेमी पुत्री मुखराम पत्नी ओमप्रकाश जाति मेघवाल निवासी चमारखेडा 30 केएसडी, बुधरवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,राज0।
5. गोमती पुत्री मुखराम पत्नी हनुमान जाति मेघवाल निवासी चमारखेडा 30 केएसडी, बुधरवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर,राज0।
6. तहसीलदार(राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़,राज0।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:- श्री बलराम कस्वां वकील-वादी

श्री राकेशकुमार माहर वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 6

निर्णय दिनांक- 04-07-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सीरासर के खाता संख्या 80/68 के खसरा नम्बर 299 की 3.2890 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 792/459 की 1.3910 हैक्टेयर कुल 4.6800 है. व रोही मौजा सीरासर के खाता संख्या 160/134 के खसरा नम्बर 231 की 6.0590 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा व रोही मौजा सीरासर के खाता संख्या 106/97 के खसरा नम्बर 230 की 1.8970 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 232/1 की 9.8550 हैक्टेयर में से 1/5 हिस्सा जो वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है, के वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 04.07.2024

..... को जारी की गई।

04/07/24  
(संजय कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर